

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम


कार्यालय आदेश सं० ...००१४२... /पटना, दिनांक...२६/५/१६...

बिहार-उत्तर प्रदेश के बीच में दिनांक 06.05.2016 को दोनों राज्यों के बीच बसों के परिचालन हेतु समझौता हुआ है। निगम द्वारा परिचालित किये जाने वाले बसों एवं मार्गों के चयन का आधार के नये मापदंड अपनाये गये है। वर्ष 2011 में आमंत्रित किये गये आवेदन कार्यान्वित नहीं कराये जा सके।

वर्तमान समय में करीब 05 वर्ष पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करना नियमानुसार संभव नहीं है। इसके आलोक में वर्ष 2011 में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए आवेदकों से प्राप्त EMD की राशि लौटा देने का निर्णय लिया गया है।


इस सामान्य निर्णय में मेसर्स ईडेन ट्रांसपोर्ट प्रा०लि० एवं मेसर्स गिरिश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० सम्मिलित नहीं है क्योंकि उनके आवेदन पत्र पर इनकी EMD राशि निगम के बकाये राशि में समयोजित कर लिया गया है। अतः इन दो को छोड़कर शेष आवेदकों को EMD राशि लौटा देने का आदेश दिया जाता है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।


प्रशासन मुख्य

ज्ञापांक ...१५२३... /पटना, दिनांक ...२६/५/१६...

प्रतिलिपि : मुख्य लेखा पदाधिकारी/मुख्य यांत्रिक अभियंता/संचालन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, पटना सूचनार्थ प्रेषित।/प्रशासक के निजी सहायक को प्रशासक के अवलोकनार्थ प्रेषित।


प्रशासन मुख्य